



# कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 131 / 141 मथुरा, दिनांक 12/07/2019.

सेवा में,

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा ।

विषय :-

जनपद मथुरा की कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन मार्ग (ओ0डी0आर0-143) के कि0मी0चैनेज-02.140 की बॉयी पटरी पर स्थित ग्राम-बरहाना के खसरा सं0-617 में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0, 65/2, संजय प्लेस, आगरा द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0522528 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनापत्ति का प्रस्ताव (FP/UP/OTHERS/40253/2019)

सन्दर्भ :-

1-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-38/11सी-2496/एफ0पी0/यू0पी0 /अदर्स /40253/2019, दिनांक 04.07.2019 तथा  
2-आपकी पृष्ठांकन सं0-66/14-1, दिनांक 05.07.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव में लगाई आपत्तियों का बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर निम्नानुसार प्रेषित है ।

1.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन भारत सरकार की नवीन गाइड लाइन के अनुसार नहीं है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर 50 वर्षों के क्षतिपूरक वृक्षारोपण का 10 वर्षों के अनुरक्षण सहित प्राक्कलन सारांश सहित संलग्न कर ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड करें ।	निर्देशों के क्रम में नवीन गाइड लाइन के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण योजना का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न-38 के रूप पृष्ठ सं0-60 से 62 तक संलग्न कर दिया गया तथा उसको भाग-2 में धनराशि एवं प्राक्कलन अपलोड कर दिया गया है ।
2.	प्रस्ताव में संलग्न सी0डी0 में क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अपलोड नहीं किये गये हैं । अतः प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित क्षतिपूरक वनीकरण का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट सी0डी0 में अपलोड कर संलग्न करें ।	निर्देशों के अनुसार क्षतिपूरक वनीकरण योजना का Geo Referenced Digital Map एवं टोपोशीट प्रभागीय निदेशक, मथुरा से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर अपलोड कर उसकी सी0डी0 प्रस्ताव में पृष्ठ सं0-43 पर संलग्न सं0-87 के रूप में संलग्न है ।
3.	प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है ।	निर्देशों के क्रम में प्रभागीय निदेशक, मथुरा से प्रतिहस्ताक्षरित वचनबद्धता प्रस्ताव में पृष्ठ सं0-32 जो संलग्न-17 के रूप में संलग्न है ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।

पत्रांक

दिनांकित ।

प्रेषित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
मथुरा ।